Bihar Education Project,
Jagat Lal Mishra Complex,
R..hika Road, Sapta,
Madhubani- 847214

बिहार शिक्षा परियोजना,
जगत लाल मिश्रा कम्पलेक्स (सूर्यकला भवन),
रहिका रोड, सप्ता,
मधुबनी–847214

प्रेषक,

शुभम कसौधन,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान,
मधुबनी।

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
सभी प्रखंड साधन सेवी,
सभी प्रखंड के बी0ई0डी0एम0सी0 डाटा इंट्री ऑपरेटर,
सभी शिक्षा सेवक/तालिमी मरकज,
जिला– मधुबनी।

मधुबनी, दिनांक–................ नवम्बर 2024 ई0।

विषय :– विद्यालय से बाहर 06–14 एवं 15–19 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान हेतु गृहवार सर्वेक्षण के संबंध में।

प्रसंग :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के पत्रांक 4285 दिनांक 13.11.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2009 के अनुसार 06–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद भी कई बच्चे अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते है।

विद्यालय से बाहर बच्चों (OoSC) की पहचान के लिए राज्य स्तर पर एक सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्न) विकसित है। सर्वेक्षण हेतु निर्धारित इसी प्रपत्र में विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान करने हेतु आँकड़े एकत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इसके लिए घर–घर जाने के पूर्व प्रत्येक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में एक "हेल्प–डेस्क" का गठन भी किया जाना है। विद्यालय से बाहर के बच्चों के संबंध में एकत्रित आँकड़ों की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर की जायेगी। सर्वेक्षण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निदेश दिया जाता है कि सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका में दी गयी समय–सारणी के अनुसार सम्पूर्ण गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(शुभम कसौधन)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान,
मधुबनी।

ज्ञापांक 3130 मधुबनी, दिनांक 14 नवम्बर 2024 ई0।

प्रतिलिपिः– मधुबनी जिला के सभी प्रारंभिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी आर0टी0/बी0आर0पी0, समावेशी शिक्षा मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान,
मधुबनी।

14/11/24

Yogendra Singh, I.A.S.
State Project Director

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद् परिसर,
सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना–800004

Bihar Education Project Council
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha Parishad Campus,
Saidpur, Rajendra Nagar, Patna-800004

पत्रांक– A&ST/27/2021-22/ 4285 दिनांक– 13/11/24

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE&SSA)
सभी जिले, बिहार।

विषयः– विद्यालय से बाहर के 06–14 एवं 15–19 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान हेतु गृहवार सर्वेक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार 06–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद भी कई बच्चे अपने इस मौलिक अधिकार से वंचित रह जाते है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन नीति में विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिह्नित करने के लिए गृहवार सर्वेक्षण की महत्ता पर जोर दिया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य विद्यालय से बाहर के 06–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहचान करना एवं उन्हें उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराना है एवं तदानुसार उन्हे उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही, 15–19 आयु वर्ग के वैसे बच्चों को भी चिह्नित करना है जो कतिपय कारणों से 10वीं एवं 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर सके है। वैसे बच्चों को आवश्यकतानुसार दुरस्थ शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जायगी।

विद्यालय से बाहर के बच्चों (OoSC) की पहचान के लिए राज्य स्तर पर एक सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्न) विकसित है। सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान करने हेतु ऑकड़ों को एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है।'विद्यालय से बाहर के बच्चों के संबंध में एकत्रित ऑकड़ों की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर की जायेगी। आप अवगत है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के द्वारा आपके जिला के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति प्रबंध पोर्टल पर विद्यालय से बाहर के बच्चों के ऑकड़ों की प्रविष्टि के आधार पर की जाती है। सर्वेक्षण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निदेश दिया जाता है कि सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका में दी गयी समय–सारणी के अनुसार संपूर्ण गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(योगेन्द्र सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

☎:0612-2667163/2667168, fax: 0612-2667190, Email: ssabihar@gmail.com, Website www.bepcssa.in

विद्यालय से बाहर के बच्चों (OoSC) की पहचान के लिए किये जाने वाले गृहवार सर्वेक्षण हेतु मार्गदर्शिका।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापिकरण की प्रक्रिया में विगत वर्षो में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त किया गया है। विद्यालयों में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सभी बसावट क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना, विद्यालयों की आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार करना, छात्र–शिक्षक अनुपात को अनुकूल करने की दिशा मे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना आदि महत्वपूर्ण कदम है। उक्त के बावजूद वर्तमान समय में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के समानुपातिक बहुत अधिक संख्या में बच्चों का लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहना शिक्षा के सर्वव्यापिकरण की प्रक्रिया में एक बहुत बाधा है। समाजिक, आर्थिक कारणों से कठिनतम समूह के अनेक बच्चे विद्यालयों में नामांकन से वंचित रह जाते है। उक्त परिपेक्ष्य में विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिह्नित कर उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन नीति में विद्यालय से बाहर के बच्चों (OoSC) को चिह्नित करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे की महत्ता पर ज़ोर दिया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य विद्यालय से बाहर के 06 से 14 एवं 15–19 आयु वर्ग के सभी बच्चों की पहचान करना, उनका नामांकन उम्र सापेक्ष कक्षा मे करना, उन्हे उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करते हुए उनमे वर्ग सापेक्ष दक्षता विकसीत करना है। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों के तहत 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद भी कई बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। अतः इन बच्चों की पहचान हेतु गृहवार सर्वेक्षण एकमात्र विकल्प बचता है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में बच्चों के नामांकन की विस्तारित अवधि (30 सितम्बर) के उपरान्त विद्यालय से बाहर के बच्चो (छीजित एवं अनामांकित) की पहचान कर उनका सम्पूर्ण विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इस हेतु विद्यालय से बाहर के बच्चों (OoSC) की पहचान के लिए राज्य स्तर पर सभी हितधारकों (Stakeholders) के सहयोग से एक सर्वेक्षण प्रपत्र विकसित किया गया है। (संलग्न) सर्वेक्षण प्रपत्र में विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान करने हेतु आंकडो को एकत्रित किया जाना है। विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान के लिए गृहवार सर्वेक्षण का क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. सर्वेक्षण हेतु हेल्प डेस्क (Help Desk) का गठन

I. विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा विद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क (Help Desk) का गठन किया जाय। इस हेल्प डेस्क के लिए सबसे योग्य एवं युवा शिक्षिका/शिक्षक को नोडल के रूप में नामित करते हुए इसकी सूचना संबधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जाय।

II. हेल्प डेस्क के लिए नामित नोडल शिक्षिका/शिक्षक का पहला कार्य अपने क्षेत्र के मतदाता सूची को संबंधित बूथ स्तरीय पदाधिकारी (BLO) से प्राप्त करना होगा। उक्त मतदाता सूची के आधार बनाकर संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के वैसे घरों चिह्नित करना होगा जिसके बच्चे लम्बी अवधि से विद्यालय नही जा रहे है अथवा उनका नामांकन अभीतक विद्यालयों में नही हुआ है। इस हेतु संबंधित विद्यालय के शिक्षकों/टोला सेवकों/आंगनबाडी सेविकाओं/विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ बैठक/परिचर्चा कर वैसे घरों को चिह्नित करने के लिए रणनीति तैयार की जाय। विद्यालय से बाहर के बच्चों के संबंध में सूचना देने हेतु माता–पिता/अभिभावक, घर के अन्य वयस्क सदस्य या स्थानीय जन प्रतिनिधि को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके लिए विद्यालय के पोषक क्षेत्र में स्थानीय माध्यमों द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाय। प्रचार–प्रसार करने में विद्यालय शिक्षा समिति एवं समुदाय के सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाय। इस हेतु विद्यालय स्तर पर बाल–पंजी में दर्ज ऑकडों का भी उपयोग किया जा सकता है।

2. सर्वेक्षण हेतु गृहवार भ्रमण

I. निर्धारित अवधि के उपरांत प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वेक्षण के लिए गृहवार भ्रमण हेतु रणनीति तैयार की जाय। इस रणनीति के तहत प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में सभी शिक्षकों के बीच पोषक क्षेत्र का बंटवारा करके एक–एक घर का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में किया जाय।

II. जिन घरों के विद्यालय से बाहर के बच्चों की सूचना हेल्प डेस्क में अप्राप्त हो, उन घरों में जाकर पूर्ण सर्वेक्षण किया जाय।

III. जिन घरों से हेल्प डेस्क में सूचना प्राप्त हो गई हो उन घरों में भी जा कर प्राप्त सूचना को सम्पुष्ट किया जाय।

3. शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षण हेतु रणनीति

I. शहरी क्षेत्र में विद्यालय से बाहर के बच्चों की पहचान/सर्वेक्षण एक जटिल कार्य है, ऐसे में शहरी क्षेत्र में विद्यालय से बाहर के बच्चों के सर्वेक्षण हेतु विद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त, जिला शिक्षा कार्यालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय से संबद्ध NGO, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के प्रशिक्षु शिक्षकों का सहयोग लिया जाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार ही गृहवार सर्वेक्षण कार्य सम्पादित की जाय।

II. शहरी क्षेत्र में कुछ बच्चे रेलवे स्टेशन, मंदिर–मस्जिद, चौक–चौराहों पर घुमन्तु है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष रणनीति जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में बनाई जाय। इस रणनीति के तहत विद्यालय से बाहर के एक–एक बच्चे के संबंध में सूचना निर्धारित प्रपत्र में संग्रहित करने हेतु स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संस्थाएं, पुलिस प्रशासन, रेल प्रशासन, स्थानीय निकाय आदि का सहयोग भी लिया जाय।

III. जिला के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से भी कठिनतम समूह के बच्चों की सूची प्राप्त कर उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा मे जोडने के लिए उन बच्चों से संबंधित सम्पूर्ण विवरण सर्वेक्षण प्रपत्र में प्राप्त की जाय।

4. सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र का ब्यौरा

I. सर्वेक्षण प्रपत्र में जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, गाँव/टोले का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यू–डायस कोड एवं सर्वेक्षण की तिथि अंकित कर सर्वेक्षण हेतु बच्चों के संबंध में कुल–24 कॉलम में जानकारी ली जाय।

II. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 01 से 06 तक स्वतः स्पष्ट है, जिसमें क्रमशः क्रम संख्या, अनामांकित अथवा छीजित बालक/बालिका का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि क्रमशः की जाय। माता, पिता एवं अभिभावक में से किसी दो का नाम अनिवार्य है।

III. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 07 में यूनिक आई0 डी0 के रूप में बच्चे का आधार नम्बर अंकित करें। वर्तमान समय मे अभियान चलाकर सभी बच्चों के विवरण की प्रविष्टि उनके आधार नम्बर के साथ ई–शिक्षाकोष पर की जा रही है। 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई ओपन स्कूलिंग के माध्यम से करने की सहमति देने वाले बच्चों के लिए यूनिक आई०डी० न0 आवश्यक होगा।

IV. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 08 में बच्चे की जन्मतिथि कुल आठ अंकों में दर्ज करें। पहला दो अंक दिन का, दूसरा दो अंक माह का तथा तीसरा चार अंक वर्ष का होगा। उदाहरण के लिए यदि बच्चे का जन्म चार सितम्बर दो हजार बारह में हुआ हो तो जन्मतिथि–04/09/2012 अंकित करेंगे।

V. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 09 में बच्चे की आयु 01.04.2024 को पूर्ण वर्ष में दर्ज की जाय।

VI. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 10, 11 एवं 12 में क्रमशः लिंग, कोटि एवं धर्म का दिये गये विकल्प में से चुनाव कर अंकित करना है।

VII. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 13 में बच्चे के अनामांकित (Never Enrolled) अथवा छीजित (Drop-Out) स्थिति के संबंध में जानकारी इसी दोनों विकल्पों में से एक विकल्प अंकित किया जाय। साथ ही कॉलम 13 में यदि छीजित विकल्प का चयन किया गया हो तो, उस बच्चे ने जिस कक्षा में पढ़ाई छोड़ी, उस कक्षा की जानकारी कॉलम 14 में अंकित की जाय। पढ़ाई छोड़े हुये कितनी अवधि हो गई है इसके लिए एक स्टार (*) में दिये गये विकल्प कोड 01 से 04 तक में कोई एक विकल्प का कोड कॉलम 15 में अंकित किया जाय।

VIII. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 16 एवं 17 दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। यदि विद्यालय से बाहर का बच्चा दिव्यांग है तो कॉलम संख्या 16 में विकल्प ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' अंकित किया जाय। कॉलम संख्या 16 में दो स्टार (**) में दिये गये विकल्प 01 से 21 तक में कोई एक विकल्प का कोड अंकित किया जाय। विकल्प 01 से 21 तक में कोई एक विकल्प का कोड चयन करने में समावेशी शिक्षा के संसाधन शिक्षकों का सहयोग प्राप्त किया जाय।

IX. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 18 से 21 सर्वे के दौरान रिक्त रहेगा। इसमें प्रविष्टि सर्वेक्षण के उपरांत अनामांकित/छीजित बच्चे का उम्र सापेक्ष कक्षा में सर्वेक्षणकर्त्ता के सहयोग से प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन करने के बाद किया जा सकेगा।

X. 15 से 19 आयु वर्ग के 9वीं उतीर्ण वैसे बच्चे जो 10वीं मे नामांकित नही हो सके और 10वीं की परीक्षा ओपन स्कूलिंग के माध्यम से देना चाहते है अथवा 10वीं की परीक्षा उतीर्ण बच्चे जो किसी कारणवश 11वीं में नामांकित नही हो सके और 12वीं की परीक्षा ओपन स्कूलिंग के माध्यम से देना चाहते है। इस संबंध में यह आवश्यक होगा कि जिन बच्चों के द्वारा ओपन स्कूलिंग के माध्यम से परीक्षा देने की सहमति दी जाती है उन्ही बच्चों का नाम के सामने सहमति अंकित की जाय।

XI. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 22 से 24 वैसे विद्यालय से बाहर के बच्चों से संबंधित है जो किसी भी वजह से कक्षा 10 से 12 में नामांकित नहीं हो सकते हैं, वैसे बच्चों को 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) से करने की इच्छा को दिये गये विकल्प, हाँ अथवा नहीं के रूप में अंकित किया जाय।

XII. यदि कॉलम 22 में 'हाँ' अंकित किया गया हो तो कॉलम 23 वित्तीय सहायता की आवश्यकता का विकल्प 'हाँ' अथवा 'नहीं' अंकित किया जाय। कॉलम 22 में यदि विकल्प 'नहीं' अंकित है तो हो सकता है वह बच्चा 10वीं अथवा 11वीं में प्रवेश पाने हेतु अर्हता प्राप्त हो, यदि ऐसा बच्चा नियमित विद्यालय में नामांकन लेना चाहता हो तो, दिये गये विकल्प 'हाँ' अथवा 'नहीं' अंकित किया जाय।

XIII. जिला सतर पर सर्वे कार्य सम्पन्न होने पर ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10वीं अथवा 12वीं पढ़ाई NIOS/BBOSE से करने की सहमति देने वाले छात्र–छात्राओं से संबंधित सम्पूर्ण विवरण की प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक किया जाय।

5. आम सभा द्वारा बच्चों की सूची की सम्पुष्टि

I. विद्यालय से बाहर के बच्चों के सर्वेक्षण से संबंधित आँकड़ों की जानकारी विद्यालय शिक्षा समिति की आम सभा की बैठक में रखी जाय। एक–एक बच्चे के संबंध में परिचर्चा कर यदि अन्य कोई बच्चा की जानकारी नहीं ली गई हो तो उसकी भी जानकारी समाहित कर विद्यालय से बाहर के बच्चों की सूची आम सभा द्वारा सम्पुष्ट की जाय।

6. सम्पुष्टि के उपरांत नामांकन एवं विशेष प्रशिक्षण से संबंधित किये जानेवाले कार्य

I. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 18 से 21 में सर्वेक्षण के दौरान अनामांकित/छीजित पाए गये 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन कराने एवं विशेष प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी अंकित करना है। यह जानकारी सर्वेक्षण के उपरांत बच्चों का उम्र सापेक्ष कक्षा में प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन करने के बाद सर्वेक्षणकर्त्ता द्वारा भरा जाएगा।

II. सर्वेक्षण प्रपत्र के कॉलम 18 में नामांकित कक्षा (कक्षा 01 से 08 तक किसी एक कक्षा को) अंकित किया जायेगा, जिसमें बच्चे को नामांकित कराया गया।

III. कॉलम 19 में नामांकित बच्चे का नामांकन क्रमांक अंकित किया जाय।

IV. यदि बच्चा 06 से 08 आयु वर्ग का है तो उसका सीधा नामांकन क्रमशः कक्षा– 01 से 03 में करा दिया जाय। कक्षा– 01 से 03 में नामांकित बच्चे के लिए कॉलम 20 एवं 21 रिक्त छोड़ देना है। इस आयुवर्ग के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।

V. कॉलम 20 में 08 से 11 आयु वर्ग के बच्चे के लिए गैर–आवासीय विशेष प्रशिक्षण अंकित किया जाय।

VI. कॉलम 20 में 11–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जिनके दक्षता का स्तर उम्र सापेक्ष कक्षा से कम मगर शून्य से ज्यादा है तो उन 11–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी गैर–आवासीय विशेष प्रशिक्षण अंकित किया जाय। ऐसे बच्चे निश्चित रूप से ड्रॉप आउट बच्चे होंगे।

VII. कॉलम 20 में 11–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जिनके दक्षता का स्तर उम्र सापेक्ष कक्षा से कम मगर शून्य हो तो उन 11–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विशेष प्रशिक्षण अंकित किया जाय। ऐसे बच्चे निश्चित रुप से कभी भी विद्यालय नहीं गये होगे अथवा प्रारंभिक स्तर पर ही वे विद्यालय से छीजीत हो गये होंगे।

VIII. 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्वप्रथम उन बच्चों के दक्षता के स्तर की जाँच के लिए बेसलाईन टेस्ट लिया जाय।

IX. बेस लाईन के आधार पर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित की जाय।

X. कॉलम 21 में तीन स्टार (***) में दिये गये विकल्प कोड 01 से 06 में से किसी एक विकल्प को अंकित करें।

XI. कॉलम 21 में बेस लाईन के अनुसार अगर बच्चे की दक्षता का स्तर शून्य के आस–पास है, तो उसके लिए 9 माह की अवधि का विशेष प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा कोड अंकित करें।

XII. कॉलम 21 में अगर बेसलाईन के अनुसार बच्चे के दक्षता का स्तर उम्र सापेक्ष कक्षा से कम मगर शून्य से ज्यादा है तो उन बच्चों के लिए 6 माह की अवधि का विशेष प्रशिक्षण देने की अनुशंसा का कोड अंकित करें।

XIII. सर्वेक्षण प्रपत्र को हेल्प डेस्क में अथवा घर–घर जाकर भरा जाय। भरने वाले सर्वेक्षणकर्त्ता /नोडल शिक्षक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं हस्ताक्षर तथा प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक का नाम, मोबाईल नम्बर एवं हस्ताक्षर भी सर्वेक्षण प्रपत्र पर स्पष्ट अंकित किया जाय।

7. आँकड़ों का समेकन

I. विद्यालय से बाहर के बच्चों का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में करने एवं विद्यालय शिक्षा समिति की आम सभा की बैठक में बच्चों की सूची की सम्पुष्टि करने के उपरांत आँकड़ों का विद्यालयवार समेकन कर प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केन्द्र में जमा करें जहाँ उसकी प्रविष्टि प्रबंध पोर्टल पर की जाएगी।

213

8. सर्वेक्षण हेतु वित्तीय प्रावधान

I. विद्यालय से बाहर के बच्चों के सर्वेक्षण हेतु किसी प्रकार का वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह सर्वेक्षण बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संरक्षण से संबंधित है।

II. सर्वेक्षण के क्रम में प्रत्येक शिक्षक को एक या दो सर्वेक्षण प्रपत्र की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विद्यालय के कंपोजिट ग्रांट की राशि से छायाप्रति मद में व्यय किया जाय।

III. स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सहयोग प्राप्त कर प्रचार–प्रसार किया जाय, इससे समुदाय की प्रतिभागिता बढ़ेगी।

IV. जिला स्तर के प्रशिक्षण में आवश्यकतानुसार पेन, पैड, फोल्डर आदि सभी प्रकार के व्यय जिला के स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के Major Component-RTE Entitlements के Sub Componen-Special Training of Out of School Children मद में स्वीकृत आकस्मिकता मद (Contingency) से की जा सकती है। प्रखंड संसाधन केन्द्र और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण गैर वित्तीय होगा।

9. सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण

I. सभी हितधारकों (Stakeholders) यथा सभी विद्यालयों के शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, प्रखंड साधनसेवी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण समन्वयक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0 शि0 एवं समग्र शिक्षा अभियान) का प्रशिक्षण राज्य स्तर से जिला समन्वयक को एवं जिला द्वारा प्रखंड स्तर के दो विशेषज्ञों को एवं प्रखंड द्वारा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

10. गतिविधियों हेतु समय सारणी

क्रम स0	गतिविधि	समय–सीमा
1	राज्य,जिला, प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर कोर कमिटी का गठन	15 नवम्बर से 16 नवम्बर 2024
2	हेल्प डेस्क का गठन	18 नवम्बर से 19 नवम्बर 2024
3	जिला समन्वयकों का प्रशिक्षण (राज्य स्तर पर)	20 नवम्बर 2024
4	प्रखंड के दो विशेषज्ञ का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)	21 नवम्बर से 23 नवम्बर 2024
5	विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षण (प्रखंड स्तर पर)	25 नवम्बर से 27 नवम्बर 2024
6	हेल्प डेस्क के माध्यम से ऑकडों का संग्रहण	28 नवम्बर से 29 नवम्बर 2024
7	गृहवार सर्वेक्षण (कॉलम 1 से 17 तथा कॉलम 23 एवं 24) प्रपत्र भरना	30 नवम्बर से 07 दिसम्बर 2024
8	आम सभा की बैठक में आँकड़ों की सम्पुष्टि	09 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2024
9	सर्वेक्षण में विद्यालय से बाहर पाये गये बच्चे के पूर्व ज्ञान की जाँच एवं नामांकन	13 दिसम्बर से 18 दिसम्बर 2024
10	पूर्व ज्ञान की जाँच के आधार पर प्रपत्र में कॉलम 18 से 22 तक आँकड़ों की प्रविष्टि	19 दिसम्बर से 24 दिसम्बर 2024
11	भरे गये प्रपत्र के अनुसार प्रबंध पोर्टल आँकड़ों की प्रविष्टि	26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2024

Yashjit

212

11. कोर कमिटि का गठन एवं संपूर्ण कार्य का अनुश्रवण

I. राज्य, जिला, प्रखंड एवं विद्यालय स्तर पर सर्वेक्षण एवं विद्यालय से बाहर के बच्चों के उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन तथा विशेष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोर कमिटि का गठन किया जाय।

II. राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, समावेशी शिक्षा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मीडिया एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, एम०आई०एस० द्वारा नामित एम०आई०एस० प्रतिनिधि गठित कोर कमिटि के सदस्य होगें।

III. जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में कोर कमिटि का गठन किया जाय। इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0 शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) पहुँच एवं विशेष प्रशिक्षण समन्वयक एवं एम0आई0एस0 प्रभारी सदस्य बनाये जाय।

IV. जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर के पदाधिकारियों की टीम का गठन कर सर्वेक्षण का अनुश्रवण कराया जायेगा।

V. प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में कोर कमिटि गठित की जाय। इसमें प्रखंड साधन सेवी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सह लेखापाल सदस्य होंगे।

VI. प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सर्वेक्षण का अनुश्रवण करेंगे। सभी प्रखंड साधन सेवियों को भी क्षेत्र आवंटित कर सर्वेक्षण का अनुश्रवण सुनिश्चित करायेंगे।

VII. विद्यालय स्तर पर प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के नेतृत्व में कोर कमिटि गठित की जाय। इसमें विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य, हेल्प डेस्क के नोडल तथा स्थानीय समुदाय के दो सक्रिय सदस्य को शामिल किया जाय।

VIII. विद्यालय स्तर पर प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्राचार्य सर्वेक्षण का अनुश्रवण करेंगे। समुदाय को भी सर्वेक्षण के अनुश्रवण एवं सहयोग हेतु उत्प्रेरित करेंगे।

.....समाप्त.....

6–14 एवं 15–19 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए हाउस–होल्ड सर्वे

जिला का नाम :– प्रखड का नाम :– पंचायत का नाम :– गाँव/टोले का नाम :–

विद्यालय का नाम :– यू–डायस कोड: –

सर्वेक्षण की तिथि

																	6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्वेक्षण के दौरान अनामांकित/छीजित पाये गये बच्चे के नामाकन से सबंधित जानकारी (विद्यालय स्तर पर प्र०अ० के सहयोग से भरा जायेगा)				15+से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए		
																			यदि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो				
क्र० स०	अनामांकित अथवा छीजित बालक/बालिका का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	अभिभावक का नाम	मोबाईल नम्बर	यूनिक आई०डी० (जैसे आधार नम्बर अंकित करें) यदि उपलब्ध हो तो	जन्मतिथि (DD/MM/YYYY के रुप में लिखे)	आयु पूर्ण वर्ष में (01.04. 2024 की तिथि को)	लिंग (पु० म० या ट्रांसजेंडर अंकित करें)	कोटि (Gen/ SC/ ST/ OBC (BC II)/ OBC (BC I) अंकित करें)	धर्म (हिन्दु/ मुस्लिम/ सिख/ इसाई/ जैन/ पारसी/ बौध या अन्य)	अनामांकित अथवा छीजित	अगर छीजित है तो अंतिम कक्षा जिसमे पढाई छोडी	कितने समय से छीजित है *	क्या बच्चा दिव्यांग है? (हाँ या नहीं अंकित करें)	कॉलम 16 में अगर हाँ है तो दिव्यांगता का प्रकार **	किस कक्षा में नामांकन लिया गया	नामांकन क्रमांक	विशेष प्रशिक्षण का प्रकार (गैर आवासीय/ आवासीय)	विशेष प्रशिक्षण की अवधि ***	क्या ओपेन स्कूल(NIOS / BBOSE) से आगे की पढाई करना चाहते है। (हाँ या नहीं)	यदि हाँ तो क्या उन्हें वितीय सहायता की आवश्यकता है। (हाँ या नहीं)	यदि कॉलम 22 मे नही है तो क्या वह नियमित विद्यालय में नामांकन लेना चाहता है? (हाँ या नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							

सर्वेक्षणकर्त्ता का नाम	विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक का नाम
सर्वेक्षणकर्त्ता का हस्ताक्षर	विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

* (एक माह से के लिए –1, एक माह से छः माह के बीच के लिए –2, छः माह से एक वर्ष के लिए –3 एव एक वर्ष से अधिक के लिए–4 लिखें)

** दिव्यांगता के लिए 1 से 21 तक का कोड लिखें – 1. गतिशीलता (हरकत) जनित दिव्यांगता, 2. कुष्ठ निवारित व्यक्ति, 3. प्रमस्तिष्क घात, 4. बौनापन 5. मासपेशीय दुर्विकास, 6. एसिड हमले से पीडित, 7. अंधापन (दृष्टिहीनता), 8. मंद दृष्टि/अल्पदृष्टि, 9. बधिर, 10. सुनने में कठिनाई, 11. वाणी एव भाषा दिव्यांगता 12. बौद्धिक दिव्यांगता, 13. विशिष्ट अधिगम अक्षमता, 14. स्वपरायणता, 15. मानसिक बीमारी, 16. बहुविध उत्तक दृढन, 17. पार्किंसंस रोग, 18. हिमोफिलिया 19. थेलेसेमिया, 20. दात्र कोशिका रोग एव 21. बहु दिव्यांगता

*** तीन माह के लिए –1, छः माह के लिए –2, नौ माह के लिए –3, बारह माह के लिए–4, अठारह माह के लिए –5 एवं चौबीस माह के लिए–6 लिखें।